

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग - 1
संख्या : ११७/२१(१५०)/XXVII(१)/२०१६
देहरादून, दिनांक : ०१ दिसम्बर २०१६

कार्यालय- ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-13015(460)/MFCGA/PFMS/2016-17/1136-1165 दिनांक 24.06.2016 द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में **स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (SPMU)** के निम्नानुसार गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- | | |
|---|------------|
| 1. सचिव, वित्त | अध्यक्ष |
| 2. श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान, अपर सचिव, वित्त | समन्वयक |
| 3. उप महालेखा नियंत्रक (PFMS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य |
| 4. बजट अधिकारी | सदस्य सचिव |
| 5. निदेशक/SIO, NIC | सदस्य |
| 6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें | सदस्य |
| 7. निदेशक, आईटीडीओए | सदस्य |
| 8. सदस्य, स्टेट डाटा सेन्टर | सदस्य |
| 9. आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा नामित कोई व्यक्ति | सदस्य |
| 10. बैंकिंग सलाहकार, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या ११७ /XXVII(१)/२०१६ एवं तददिनांक ०१/११/१६

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. उप महालेखा नियंत्रक (PFMS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
4. श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
6. बैंकिंग सलाहकार, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक/SIO, NIC उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव